न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या–38 / 2014–15

वासो देवी वगैरह बनाम विश्वनाथ यादव वगैरह

(Under Section 8 of the Bihar Land Mutation Act, 2011)

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
19.5.16	**आदेश** (text below)	

आदेश

यह पुनरीक्षण वाद, दाखिल खारिज अपील वाद सं0 65 / 2013–14 में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पालीगंज के द्वारा दिनांक 07.07.2014 को पारित आदेश के विरूद्ध लाया गया है।

इस वाद के पक्षकार निम्न प्रकार है।

प्रथम पक्ष

1. बासो देवी, पति–स्व0 सिद्धनाथ यादव,
2. जितेन्द्र यादव, पिता स्व0 सिद्धनाथ यादव,
3. योगेन्द्र यादव, पिता स्व0 सिद्धनाथ यादव, सभी ग्राम–रघुनाथपुर, थाना–जिला–पटना

द्वितीय पक्ष

1. विश्वनाथ यादव, पिता–स्व0 कैलाश यादव,
2. लालदेव यादव, पिता–विश्वनाथ यादव,
3. अयोध्या यादव, पिता विश्वनाथ यादव,
4. राज्य

इस वाद के विपक्षीगण के द्वारा उपस्थित होकर दिनांक 27.07.2016 को लिखित प्रतिउत्तर दायर किया गया।

दिनांक 09.11.2016 को आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा इस आशय का आवेदन दिया गया कि विपक्षी सं0 1 विश्वनाथ यादव अपने पीछे दो पुत्र लालदेव यादव एवं अयोध्या यादव (विपक्षी सं0 2 एवं 3) को छोड़कर दिनांक 25.09.2016 को मृत्यु को प्राप्त हो गये। आवेदकगण के द्वारा विपक्षी सं0 1 का नाम परिवाद से विलोपित करने का अनुरोध किया गया। दिनांक 27.11.2017 को आवेदकगण के दिनांक 09.11.2016 के आवेदन पर सुनवाई कर विपक्षी सं0 1 विश्वनाथ यादव का नाम विलोपित करने का आदेश दिया गया।

आवेदकगण का कहना है कि

(1) कैलाश यादव के दो पुत्र विश्वनाथ यादव एवं सिद्धनाथ यादव थे। कैलाश यादव एवं उनके पुत्रों ने साल 1353 फसली में भूतपूर्व जमीन्दार से मौजा रघुनाथपुर खाता नं0 185, खेसरा नं0 71 रकबा 17डी0 भूखण्ड विश्वनाथ यादव की पत्नी राजकालो देवी के नाम बन्दोबस्त लिया। पुनः मौजा कनपा, खाता नं0 253, 269, 271 खेसरा नं0 1174, 1175 एवं

1176 कुल रकबा 68डी0 की बन्दोबस्ती विश्वनाथ यादव के नाम से ली गयी। बन्दोबस्ती से प्राप्त भूखण्ड पर संयुक्त परिवार का दखल–कब्जा था।

(2) बन्दोबस्ती राजकालो देवी एवं विश्वनाथ यादव के नाम से थी, अतः सरकार के सरिस्ता में उनके नाम से जमाबंदी दर्ज हुयी, परन्तु प्रश्नगत भूखण्ड, अन्य भूखण्ड के साथ परिवार के संयुक्त दखल–कब्जा में थी।

(3) कैलाश यादव की मृत्यु के पश्चात उनके दोनों पुत्र विश्वनाथ यादव एवं सिद्धनाथ यादव के बीच आपसी खानगी बंटवारा हुआ, जिसमें विवादित भूखण्ड का आधा–भाग सिद्धनाथ यादव को मिला, परन्तु लगान रसीद पूर्णतः विश्वनाथ यादव के नाम से कटती रही।

(4) सिद्धनाथ यादव की मृत्यु के उपरान्त उनकी पत्नी वासो देवी एवं उनके दो पुत्र जीतेन्द्र यादव वो योगेन्द्र यादव अन्य भूखण्ड के साथ प्रश्नगत भूखण्ड पर दखल में आये।

(5) वासो देवी के द्वारा विवादित भूखण्ड के खेसरा नं0 71 में $6\frac{1}{4}$डी0 तथा खेसरा नं0 1174, 1175, 1176 में 34डी0 के दाखिल खारिज हेतु अंचलाधिकारी, बिक्रम को आवेदन दिया गया। राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन के आधार पर दाखिल खारिज वाद सं0 424/2013–14 के अन्तर्गत अंचलाधिकारी, बिक्रम के द्वारा दिनांक 18.06.2013 को दाखिल खारिज की स्वीकृति दी गयी।

(6) दाखिल खारिज वाद सं0 424/2013–14 में दिनांक 18.06.2013 को पारित आदेश के विरूद्ध इस वाद के विपक्षीगण के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, पालीगंज के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील सं0 65/2013–14 दायर की गयी।

(7) भूमि सुधार उप समाहर्ता, पालीगंज के द्वारा तथ्यो को दर किनार करते हुए, दिनांक 07.07.2014 के आदेश से अपील स्वीकार कर ली गयी।

(8) भूमि सुधार उप समाहर्ता, पालीगंज के द्वारा अपील वाद सं0 63/2013–14 में दिनांक 07.07.2014 को पारित आदेश को अवैध एवं अनुचित बताते हुए रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि

(1) विवादित भूखण्ड भूतपूर्व जमीन्दार के द्वारा वर्ष 1946 में राजकालो देवी, पति विश्वनाथ यादव को हुकुमनामा से दिया गया था। राजकालो देवी अपने पीछे पति विश्वनाथ यादव एवं दो पुत्र को छोड़कर मृत्यु को प्राप्त हुयी।

(2) हुकुमनामा से प्राप्त जमीन पर राजकालो देवी का दखल कब्जा था। जमीन्दारी उन्मूलन के पश्चात राजकालो देवी के नाम से सरकारी सरिस्ता में जमाबंदी दर्ज की गयी। राजकालो देवी की मृत्यु के पश्चात उनके पति एवं दो पुत्र (इस वाद के विपक्षीगण) प्रश्नगत भूखण्ड पर दखल

में आये। विश्वनाथ यादव के नाम से जमाबंदी कायम होकर लगान रसीद निर्गत हो रही है।

(3) वासो देवी के द्वारा अंचलाधिकारी, बिक्रमको झूठा आवेदन दिया गया कि प्रश्नगत भूखण्ड में उनका आधा हिस्सा होता है। अंचलाधिकारी, बिक्रम के द्वारा जमाबंदी रैयत को बिना सूचना दिये आधे हिस्से के दाखिल खारिज की स्वीकृति वासो देवी के नाम से दे दी गयी।

(4) प्रश्नगत भूखण्ड को लेकर सब जज--2, दानापुर के न्यायालय में टाईटिल सूट सं0 71/2005 लम्बित है। व्यवहार न्यायालय में टाईटिल पार्टीशन सूट लम्बित रहते हुए दाखिल खारिज की स्वीकृति दे दी गयी।

(5) अंचलाधिकारी, बिक्रम केआदेश के विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्ता, पालीगंज के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील वाद सं0 65/2013--14 दायर किया गया। भूमि सुधार उप समाहर्ता, पालीगंज के द्वारा उभय पक्ष को सुनकर दिनांक 01.07.2014 को विधि सम्मत आदेश पारित किया गया है। पुनरीक्षण आवेदन रद्द करने योग्य है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा निम्न न्यायालय के अभिलेख के परिशीलन से निम्न तथ्य सामने आते है।

(1) दाखिल खारिज वाद सं0 424/2013--14 के अन्तर्गत राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा विवादित भूखण्ड की जमाबंदी विश्वनाथ यादव के नाम से कायम रहना प्रतिवेदित किया गया है। विश्वनाथ यादव एवं उनके भाई सिद्धनाथ यादव के बीच आपसी बँटवारा की बात कहते हुए बंटवारा की स्वीकृति की अनुशंसा की गयी है। अंचलाधिकारी, बिक्रम के द्वारा राजस्व कर्मचारी के इसी प्रतिवेदन के आधार पर सिद्धनाथ यादव की पत्नी वासो देवी के नाम से आधे हिस्से के दाखिल खारिज की स्वीकृति दे दी गयी। इस दाखिल खारिज वाद की स्वीकृति में निम्न त्रुटियाँ है।

(क) जिस आपसी बंटवारा की बात प्रतिवेदन में कही गयी है, ऐसा कोई बंटवारानामा संलग्न नहीं किया गया।

(ख) यदि ऐसे किसी बंटवारा के आधार पर दाखिल खारिज हेतु आवेदन प्राप्त हुआ था, तो दाखिल खारिज अधिनियम--2011 की धारा--6(11) के तहत सभी हिस्सेदार की सहमति प्राप्त करना आवश्यक था, परन्तु इस मामले में हिस्सेदार/जमाबंदीदार को बिना कोई सूचना दिये दाखिल खारिज की स्वीकृति दे दी गयी। हिस्सेदार की कोई सहमति प्राप्त नहीं की गयी।

(ग) राजस्व कर्मचारी एवं अंचलाधिकारी के द्वारा विवादित भूखण्ड पर आवेदिका वासो देवी के दखल--कब्जा के संबंध में कोई प्रतिवेदन नहीं दिया गया है। बिना दखल--कब्जा के प्रतिवेदन के ही अंचलाधिकारी, बिक्रम के द्वारा दाखिल खारिज की स्वीकृति दे दी गयी।

(घ) राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा बंटवारा की स्वीकृति की अनुशंसा की गयी है, जबकि राजस्व न्यायालय से बंटवारा नहीं किया जा सकता है।

(2) विवादित भूखण्ड को लेकर सब जज–2, दानापुर के न्यायालय में टाईटिल सूट सं0 71/2005 लम्बित है। दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 की धारा–6(12) के अनुसार कैसे मामलों में दाखिल खारिज की स्वीकृति नहीं दी जा सकती, जिसके स्वत्व संबंधी वाद सक्षम न्यायालय में लम्बित हों।

सम्यक विचारोपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि दाखिल खारिज वाद सं0 424/2013–14 के अन्तर्गत अंचलाधिकारी, विक्रम के द्वारा दिनांक 18.06.2013 को पारित आदेश त्रुटिपूर्ण एवं नियम के विरूद्ध है। जिसे भूमि सुधार उप समाहर्ता, पालीगंज के द्वारा अपील वाद सं0 65/2013–14 दिनांक 01.07.2014 के आदेश से निरस्त कर दिया गया है।

दाखिल खारिज अपील वाद सं0 65/2013–14 में दिनांक 01.07.2014 को पारित आदेश उचित एवं विधि सम्मत है। इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं। पुनरीक्षण आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। निम्न न्यायालय का अभिलेख वापस करें।

लेखापित एवं संशोधित।

24/5/18

(वज़ैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता,पटना

24/5/18

(वज़ैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता,पटना